

1 प्र०क० 400 / 2015 अपील फौजदारी

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्र०क० 400 / 2015 अ०फौ०

संस्थिति दिनांक 01.10.2015

- 1 पंकज पुत्र रमेश मिश्रा, उम्र 30 वर्ष।
  - 2 रमेश मिश्रा पुत्र भगवतीप्रसाद मिश्रा, उम्र 63 वर्ष।
  - 3 सुनील उर्फ टिल्लू पुत्र रमेश मिश्रा, उम्र 32 वर्ष।
- समस्त जाति- ब्राम्हण, निवासीगण ग्राम सर्वा,  
थाना गोहद चौराहा, जिला भिण्ड म०प्र०  
.....अपीलार्थीगण / आरोपी

**ब-ना-म**

- 1 मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा,  
जिला भिण्ड म०प्र०।  
.....प्रतिलार्थीगण / अभियोजन

अपीलार्थीगण द्वारा श्री सुरेश मिश्रा अधिवक्ता, प्रत्यर्थी  
राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक  
अभियोजक

न्यायालय श्री केशव सिंह, जे.एम.एफ.सी गोहद द्वारा  
दाण्डिक प्र०क० 695 / 10 ई.फौ. में पारित निर्णय व  
दण्डाज्ञा दिनांक 07-09-2015 से उत्पन्न दांडिक  
अपील क्रमांक 400 / 2015

// निर्णय //

(आज दिनांक 01-08-2017 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थीगण की ओर से यह दांडिक अपील न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (श्री केशवसिंह) द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 695 / 2010 ई.फौ. शा०पु० गोहद चौराहा वि० पंकज आदि, में

पारित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 07.09.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपीगण/अपीलार्थीगण प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 सहपठित धारा 34 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 06-06 माह के कठोर कारावास एवं तीन सौ – तीन सौ रूपए के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में प्रत्येक आरोपी को दो-दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.2010 को आरोपी रमेश की भैंस फरियादी देवेन्द्र के खेत में घुस गई थी जिसे फरियादी ने निकाल दिया था। इसी बात पर से आरोपीगण ने फरियादी की मारपीट की और आरोपी रमेश ने फरियादी के सिर में फरसा एवं आरोपी पंकज ने पीठ में हसिया मूद तरफ से मारा जिससे उसे चोटें आई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा पर दर्ज कराई जिस पर से आरोपीगण के विरुद्ध अप0क0 126/10 अंतर्गत धारा 323, 324, 34 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया गया। फरियादी का मेडीकल परीक्षण कराया गया तथा शेष अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण कर अधीनस्थ न्यायालय में आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध 324 सहपठित धारा 34 भा.द.वि के आरोप पाये जाने से आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर आरोपीगण ने अस्वीकार किया।

03. अधीनस्थ न्यायालय में अभियोजन साक्षी देवेन्द्र मिश्रा अ0सा0 1, सुरेन्द्र मिश्रा अ0सा0 2, जितेन्द्रप्रसाद अ0सा0 3, मानसिंह अ0सा0 4, डॉ0 संतोष कुमार सोनी अ0सा0 5 की साक्ष्य कराई गई। दंड प्रक्रिया संहिता 313 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने अपने आपको निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया तथा प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दी गई। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपीगण को भा0दं0वि0 की धारा 324 सहपठित धारा 34 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए उक्तानुसार दंडित किया है जिससे व्यथित होकर यह दंडिक अपील प्रस्तुत की गई है।

04. अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं दंडादेश को विधि एवं तथ्य के विपरीत, साक्षियों के कथनों में गंभीर विरोधाभास, साक्ष्य का विपरीत निष्कर्ष निकालने, साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन किये जाने में त्रुटि किये जाने एवं आलोच्य निर्णय एवं दंडादेश

विधि के मान्य सिद्धांत के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं दंडादेश को अपास्त करने और अपीलार्थीगण को दोषमुक्त घोषित किये जाने की प्रार्थना की है।

05. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने आलोच्य निर्णय एवं दंडादेश विधि एवं तथ्यों के अनुरूप होना दर्शाते हुये अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

06. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश मिश्रा एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क0 695/2010 (शासन पु. गोहद चौराहा विरुद्ध पंकज आदि) का अवलोकन किया गया।

07. इस अपील के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :-

1. क्या अधीनस्थ न्यायालय ने दांडिक प्र0 क0 695/2010 में आरोपीगण/ अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि का जो निष्कर्ष निकाला है वह त्रुटिपूर्ण है?
2. क्या अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण साक्ष्य विवेचन किया है?
3. क्या अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य?

#### ::- निष्कर्ष के आधार-::

08. अपीलार्थीगण/आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि फरियादी एवं अपीलार्थीगण की पुरानी रंजिश है, प्रकरण में घटनास्थल सिद्ध नहीं है, साक्षियों का प्रकरण में गंभीर व तात्त्विक विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपीगण/अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दंडित करने में त्रुटि की है।

09. प्रकरण में अभियोजन कथानक अनुसार आहत देवेन्द्र को आरोपीगण द्वारा स्वेच्छया धारदार हथियार से उपहतियों कारित करने का आरोप है। यदि घटना के संबंध में देवेन्द्र अ0सा0 1 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि घटना दिनांक को उसके तिली के खेत में आरोपीगण की भैंस चर रही थी, जब उसने जाकर रोका तो तीनों आरोपीगण ने उसे पटक लिया और रमेश ने उसे सिर में फर्सा मारा, पंकज ने पसलियों में हसिया और टिल्लू ने लाठी

मारी। उसी समय सुरेन्द्र व जितेन्द्र आ गए जिन्होंने बीच बचाव किया।

10. अभियोजन कथानक अनुसार सुरेन्द्र व जितेन्द्र को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है। घटना के संबंध में यदि साक्षी सुरेन्द्र अ0सा0 2 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने अपने कथनों में इस तथ्य की पुष्टि की है कि भैंस खेत में जाने की बात पर से रमेश ने उसके भाई देवेन्द्र के सिर में फर्सा मारा था, पंकज ने हसिया मारा था और टिल्लू ने लाठी से मारपीट की थी। इन तथ्यों की पुष्टि साक्षी जितेन्द्र अ0सा0 3 ने भी अपने कथनों में की है और इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि घटना के समय वह पास के गौंडा में भैंस बांध रहा था, उसी समय झगडा चल रहा था। तब आरोपीगण ने भैंस चरने की बात पर देवेन्द्र के मना करने पर देवेन्द्र के साथ मारपीट की थी।

11. आहत देवेन्द्र अपने आपको फर्सा, हसिया व लाठी से मारपीट किये जाने संबंधी कथन करता है। आहत का चिकित्सीय परीक्षण साक्षी डॉ0 संतोष कुमार सोनी अ0सा0 5 के द्वारा किया गया है। इस साक्षी ने अपने कथनों में इन तथ्यों की पुष्टि की है कि उसने दिनांक 08.08.10 को सुबह नो बजे सी.एच.सी. गोहद में आहत देवेन्द्र पिता भगवती का चिकित्सीय परीक्षण किया था। परीक्षण में निम्न चोटें पाई :-

1. एक कटा हुआ घाँव सिर में 7 गुणा 0.5 गुणा 0.2 से.मी. आकार में।
2. छाती पर सूजन।
3. दाहिनी जॉघ पर मूदी चोट।

साक्षी डॉ0 संतोष कुमार सोनी अ0सा0 5 का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसने आहत की चोट क्रमांक 1 व 2 के संबंध में एक्सरे की सलाह दी थी तथा चोट क्रमांक 1 धारदार वस्तु से पहुँचाई गई थी, जबकि चोट क्रमांक 2 व 3 किसी सख्त व भौतरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी।

12. साक्षी डॉ0 संतोष कुमार सोनी अ0सा0 5 का बचाव पक्ष की ओर से विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है। इस साक्षी को इस आशय का सुझाव दिया गया है कि यदि आहत किसी नुकीली वस्तु जैसे दरवाजे की चौखट से टकरा जाए तो चोट क्रमांक 1 आ सकती है, जिसे साक्षी ने स्वीकार भी किया है, किन्तु प्रकरण में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं कि आहत किसी चौखट से टकराया हो न तो बचाव पक्ष



की ओर से इस आशय की कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में केवल सुझाव के आधार पर बचाव पक्ष की ओर से लिया गया यह आधार कि आहत देवेन्द्र को किसी अन्य वस्तु से चोट आई थी मान्य किये जाने योग्य नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से साक्षी डॉ० संतोष कुमार सोनी अ०सा० 5 का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, किन्तु इस साक्षी के कथनों में ऐसे तथ्य नहीं आए हैं जिससे इस साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

13. बचाव पक्ष की ओर से इन तर्कों पर भी अत्यधिक वल दिया है कि अभियोजन साक्षियों के कथनों में गंभीर व तात्त्विक विरोधाभास है, किन्तु यदि प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया जाए तो अभियोजन साक्षियों के धारा 161 दं.प्र.सं के अंतर्गत अभिलिखित कथन, फरियादी/आहत के द्वारा लेख कराई अदमचैक प्र.पी. 1 एवं न्यायालयीन कथनों का अवलोकन किया जाए तो सूक्ष्म विरोधाभास को छोड़कर किन-किन व्यक्तियों ने किन वस्तुओं से मारपीट की के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं है और साक्षियों के कथन अभियोजन कथानक अनुसार न्यायालय में भी स्थिर रहे हैं।

14. अपीलार्थी पक्ष की ओर से एक यह भी आधार लिया गया है कि पक्षकारों के मध्य रंजिश है और इसी कारण आरोपीगण को झूठा फंसाया गया है। साक्षी सुरेन्द्र मिश्रा अ०सा० 2 ने अपने कथनों में स्वीकार किया है कि उसकी आरोपीगण से पुरानी रंजिश है और उसका आरोपीगण के यहाँ आना जाना नहीं है, किन्तु केवल मात्र साक्षी सुरेन्द्र की आरोपीगण से रंजिश होने के कारण यह नहीं माना जा सकता है कि यह साक्षी असत्य कथन रह रहा है। अन्य सुझाव को अभियोजन साक्षियों ने नकार दिया है।

15. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर भी अत्यधिक वल दिया है कि प्रकरण में घटना किस जगह पर हुई, नक्शामौका प्रमाणित नहीं हुआ है। यह सही है कि अभियोजन की ओर से नक्शा बनाने वाले अधिकारी के कथन नहीं कराए गए हैं, किन्तु प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के कथन इस संबंध में विश्वसनीय पाए गए हैं कि घटना खेत में घटित हुई थी। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी रूप से नक्शामौका बनाने वाले अधिकारी के कथन न कराए जाने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि घटना घटित नहीं हुई है।

16. प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के कथन एक दूसरे से समर्थित होकर प्रकरण की

परिस्थितियों से सम्पुष्ट है। अभियोजन साक्षियों के कथनों की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है, जिसमें आहत को एक धारदार हथियार की चोट एवं दो चोट सख्त व भौतरी वस्तु से आने की पुष्टि हुई है।

17. अतः प्रकरण में इस आशय की विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध है कि आरोपीगण/अपीलार्थीगण ने मिलकर धारदार हथियार एवं सख्त व भौतरे हथियार से आहत देवेन्द्र को उपहतियाँ कारित की।

18. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकलता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपीगण/अपीलार्थीगण की भा.द.वि की धारा 324 सहपठित धारा 34 में दोषसिद्ध का जो निष्कर्ष निकाला है वह साक्ष्य से समुचित सिद्धांतों पर आधारित होकर विधि के मान्य सिद्धांतों पर आधारित है जिसकी पुष्टि की जाती है।

19. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी/अपीलार्थीगण को 6-6 माह के कठोर कारावास एवं 300/- 300/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। घटना अचानक भैंस को खेत में चराने की बात पर हुई है। आरोपीगण का आहत को उपहति पहुँचाए जाने का कोई पूर्व का आशय रहा हो ऐसा अभियोजन का मामला नहीं है। आहत और आरोपीगण एक ही परिवार के व्यक्ति होना बताए गए हैं। अपीलार्थीगण लगभग सात वर्षों से नियमित रूप से दांडिक विचारण का सामना कर रहे हैं। आरोपित अपराध कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण/अपीलार्थीगण को कारावास न भेजते हुए केवल अर्थदण्ड से दंडित करने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

20. परिणामतः आरोपीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह दांडिक अपील दण्ड के प्रश्न पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए दण्डादेश को अपास्त करते हुए उसके स्थान पर आरोपीगण/अपीलार्थीगण पंकज, रमेश व सुनील उर्फ टिल्लू प्रत्येक को भा.द.वि की धारा 324/34 के अपराध में 2,000/- 2,000/- (दो-दो हजार रूपए) रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी के व्यतिक्रम में एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास प्रथक से भुगताया जावे।

21. आरोपीगण/अपीलार्थीगण अर्थदण्ड की राशि 15 दिवस में विचारण न्यायालय में जमा करे। यदि अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय में कोई अर्थदण्ड जमा किया हो तो उसे समायोजित किया जावे।
22. अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर 5000/- रुपए की राशि आहत देवेन्द्र को प्रतिकर के रूप में दिलाई जावे।
23. निर्णय की प्रति सहित मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)